

न्यायालय सहायक कलेक्टर वाप, जिला जोधपुर
बड़लारा पीठारीन अधिगारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

बनाम
श्री सुनी अलावकरा पत्नी अब्दुलखां
सलमान निवासी बड़ला तह.वाप
जोधपुर।

प्रतिवादी
1. तहसीलदार वाप
2. मैसर्स सुर्या उर्जा कम्पनी ऑफ
राजस्थान लि. आर-20 युधिष्ठिर
मार्ग जयपुर हॉल बड़ला तह.वाप

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं धारा 14 (4) राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम
व प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

नम्बर :- 129/2018

अधिवक्ता :-
श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी वादीगण एवं अप्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार वाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :- 15.01.2020

निर्णय

वादी के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादी की खातेदारी की खसरा
नम्बर 3157.02 बीघा में से 45 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि सरहद मौजा
पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील वाप में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट और
से पहले से ही वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय वादी के पूर्वज
करने हेतु बाहर गांव चले गये थे इसलिए खसरा नंबर 124 रकबा 3157.02 बीघा में से
भूमि उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं कर राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त
वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त पीढियों से चला आ रहा था उन्होंने अपने जीवन काल
उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बनाये थे। उक्त
वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वादी ने
भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चारों ओर खुंटे रोप कर तारबंदी की हुई है। वादी
भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है
उक्त वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया।
वादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।
प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार वाप ने उक्त वाद में प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम
सहपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार
ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु
किया है। जिसमें वादी को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है
वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहने से
उक्त भूमि पर वादी खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने
वादी को वाद करण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से
वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में वादी का वाद
ने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद
संबंधित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं होने से तथा वाद


नहीं होने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इरी खारिज किये जाने योग्य है। वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर पीड़ियों से पुराना कब्जा कमाशत है और वर्तमान वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में उपनिवेशन क्षेत्रों के अंतर्गत है और उपनिवेशन नियमों तहत सरकारी भूमि पर कब्जापारी व्यक्ति को कब्जा प्राप्त करने के लिए दिये जाने के नियम हैं। वादी के नाम से समय समय पर खसरा नम्बर 14 भी तैयार की गई है। जिससे साबित होता है कि वादीगण उक्त भूमि पर वादी का वाद दस्तावेजात से साबित है। प्रतिवादी ने वादी को भीकें से बेदखल करने के लिए उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त वाद में सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश जो उक्त वाद में लागू नहीं होता है।

अध्यक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वाद का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत किया गया। वाद मनन अवलोकन व चिन्तन के पाया गया कि वादी द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी तहसीलदार बाप ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादी) अतिक्रमण के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है जो कि गलत है। वादी वाद जरिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार वाद प्राप्त हेतु कोई सारवान तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय के विना सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर वादी खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सिर्फ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। धारा 151 सी.पी.सी. के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चों तथा अनेक क्रियाओं के अभाव में होने वाले समय के लिये तुच्छ प्रवृत्ति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद को खारिज किया जाना उचित है। ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा सके। उक्त वाद में वाद हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथोचित तथा वादी दस्तावेज के अभाव में विनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार नहीं जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वाद अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का अन्तर्गत किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 15.01.2020 को सुनाया गया।


(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप जोधपुर

